(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3225—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—04—2013 के द्वारा राजस्व निरीक्षक रीवा तहसील हुजूर जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 44/ए—12/2012—13.

सत्यनारायण कुशवाह तनय स्व0 श्री हरिदास कुशवाह
निवासी ग्राम बोदा चौवेन टोला तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

बिहारी लाल कुशवाह तनय स्व0 श्री संपत कुमार
निवासी ग्राम बोदा चौवेन टोला तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री लवकुश प्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक शुक्ला अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 02-06-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक रीवा तहसील हुजूर जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 44/ए—12/2012—13. पारित आदेश दिनांक 27.4.13 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बोंदा की आराजी भूमि खसरा नंबर 176/2 रकबा 0.101 है0 के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसका सीमांकन दिनांक 10.4.13 किया गया जिसकी पुष्टि के अनुसार तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में धारा 250 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसकी पेशी दिनांक 9.9.13 है जिससे परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रसतुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक के पिता हरदास कुशवाह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके एक मात्र वारिस आवेदक है उक्त विवादित भूमि के भूमिस्वामी स्व0 हरदास कुशवाह राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं जबकि हरदास कुशवाह के बाद आवेदक काबिज दाखिल है, जिस स्थल में सीमांकन किया गया है उस स्थल के सीमावर्ती काश्तकार आवेदक था आवेदक को सूचना सीमांकन की नहीं दी गई और आवेदक की गैर अनुपस्थिति में सीमांकन अवैधानिक रूप से करके आवेदक की भूमि में अनावेदक की भूमि निकालने में एक पक्षीय रूप से अनावेदक से प्रभावित होकर किया गया है। जबकि, आवेदक की भूमि अनावेदक की भूमि किसी भी सूरत में नहीं निकलती है । रास्ता लेने के लिये राजस्व कर्मचारियों से मिल जुलकर अवैधानिक रूप से सीमांकन दबाव बनाने के लिये कराया गया है यह विधि संगत नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि दिनांक 27.4.13 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकांन का आदेश उचित एवं सही है। सीमांकन के समय किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का तथा अभिलेख का अध्ययन किया, जिसमें स्थल पंचनामा दिनांक 10.4.13 को ग्राम बोंदा भूमि खसरा कमांक 176/2 रकबा 0.101 का सीमांकन पटवारी हल्का बोंदा के साथ किया गया जिसमें ग्राम के गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर है जिसमें सत्यनारायण द्वारा हरदास कुशवाहा का बाड़ी लगाकर अवैध रूप से कब्जा किये जाने का उल्लेख किया गया है।

6—उपरोक्त विवेचना के आधार पर दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक रीवा तहसील हुजूर जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 44/ए—12/2012—13. पारित आदेश दिनांक 27.4.13 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर